PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rajasthan Patrika, Jaipur
Tuesday 2nd June 2015, Page: 1
Width: 20.51 cms, Height: 11.61 cms, a4r, Ref: pmin.2015-06-03.15.6

5

औषधि निर्माण उद्योग | दवाओं के विकास के लिए किया गया था प्रावधान

अनुसंधान के सबूत नहीं पर करोड़ों की छूट

सुभाष राज. नई दिल्ली @ पत्रिका
patrika.com/india

देश में औषधियों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन के लिए दी जाने वाली आयकर छूट के प्रावधान की आड़ में औषधि निर्माता अनुसंधान और विकास के दस्तावेजी सबूत दिए बिना सालाना हजारों करोड़ की आयकर छूट ले रहे हैं।

बेजा छूट लेने वालों में देश की नामी औषधि कंपनियां शामिल हैं। आयकर छूट के इस मामले में सीबीडीटी (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने देश के सभी आयकर निर्धारण कार्यालयों को ताकीद की है कि वे दस्तावेजों का सत्यापन कराए बिना अनुसंधान और विकास मद में आयकर छूट नहीं दें।

आठ साल में 86 हजार करोड़ से अधिक की छूट

रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2006 -07 से 2013-14 तक आठ साल में देश की औषधि निर्माता कंपनियों ने दवाओं के अनुसंधान और विकास के नाम पर 86 हजार 781 करोड़ की आयकर छूट प्राप्त की है। जबकि देश के औषधि व्यापार का (वार्षिक टर्नओवर के आधार पर) आकार 2014 में सिर्फ एक लाख 21 हजार 15 करोड़ का ही था।

चौंकाने वाला था आयकर निर्धारकों का जवाब

महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना भारी आयकर छूट प्रदान करने पर आयकर निर्धारकों की ओर से दिए गए जवाब को भी शामिल किया है। जवाब में कहा गया है कि औषधि निर्माताओं को दी गई छूट में दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेजों के कंप्यूटरीकृत सत्यापन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से नहीं किया जा सका।

सीबीडीटी सूत्रों के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने औषधि निर्माताओं को अनुसंधान और विकास मद में कुल वास्तविक खर्च की दोगुनी राशि पर आयकर छूट के प्रावधान की जांच में यह पाया कि कंपनियों ने इस मद में खर्च को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया और उसके दस्तावेजी सबूत आयकर निर्धारण अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं किए।

इसके बावजूद छह राज्यों के आयकर निर्धारण अधिकारियों ने उन्हें वर्ष 2013-14 में 570.59 करोड़ की कर छूट प्रदान कर दी। इसके अलावा वर्ष 2012-13 में राजस्थान सहित 17 राज्यों में 714.24 करोड की ऐसी ही कर छूट विभिन्न कंपनियों को दे दी गई। सूत्रों ने बताया कि महालेखापरीक्षक की जांच में पाया गया कि ऐसी छूट 2006 -07 से लगातार दी जा रही है।

दो कंपनियों ने ली 524 करोड़ की छूट

महालेखापरीक्षक ने हाल ही समाप्त हुए संसद के अधिवेशन में पेश रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली के आयकर निर्धारण अधिकारी ने रैनबेक्सी लेबोरेटरीज को नई औषधियों की खोज और विकास के मद में 421.6 5 करोड़ के आयकर की छूट प्रदान कर दी, जबकि कंपनी इसके समर्थन में दस्तावेज पेश करने में नाकाम रही थी। इसी तरह मुंबई की पीरामल लाइफ साइंस ने मुंबई के आयकर निर्धारण अधिकारियों से 103 करोड की आयकर छूट ले ली। इसके अलावा पटना के निर्धारण अधिकारी ने अलकेम लेबोरेटरीज, हैदराबाद में हैटरो ड्रग्स तथा चेन्नई में स्पिक लिमिटेड ने भी ऐसी ही छूट प्राप्त की है।